न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13/2017/प्रा.पत्र/2017	07.02.2017	13.01.2023

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री पूर्णमल जैन पुत्र श्री चन्दालाल जैन जाति महाजन निवासी शोरगरान मोहल्ला सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पूर्ण नमकीन भण्डार शोरगरान मोहल्ला सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
2–मैसर्स पूर्ण नमकीन भण्डार शोरगरान मोहल्ला सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
3–श्रीमति कान्ता देवी निवासी तख्ता बडा कुंआ टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स गेन्दीलाल रोडमल जैन नसियां के पास गुलजार बाग रोड टोंक जिला टोंक राज.
4–मैसर्स गेन्दीलाल रोडमल जैन नसियां के पास गुलजार बाग रोड टोंक जिला टोंक राज.
5–श्रीमति श्वेता पाण्ड्या निवासी डी–70, 105 माधो विलास, माधो सिंह सर्किल, बनीपार्क जयपुर राज. डायरेक्टर मैसर्स श्री अजब फूड्स प्रा. लि. 50–ए रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रोड नं. 4, झोटवाडा जयपुर राज.।
6–मैसर्स श्री अजब फूड्स प्रा. लि. 50–ए रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रोड नं. 4, झोटवाडा जयपुर राज.।

...............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 13.01.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2016 को समय 03:00 पी.एम पर मैसर्स पूर्ण नमकीन भण्डार शोरगरान मोहल्ला सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री पूर्णमल जैन पुत्र श्री चन्दालाल जैन उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पूर्णमल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में 450–450 ग्राम पैक के **सोन पपडी (श्री अजब ब्राण्ड)** के लगभग 50 पैकेट पैक्ड अवस्था में रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पूर्णमल जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **सोन पपडी (श्री अजब ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर पी.एस. 29 एवं पैकिंग की दिनांक 01 अक्टूबर 2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 450–450 ग्राम पैक के 4 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोन पपडी (श्री अजब ब्राण्ड)** 450–450 ग्राम पैक को अलग–अलग चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1484 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1484 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री पूर्णमल जैन मैसर्स पूर्ण नमकीन भण्डार शोरगरान मोहल्ला सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक ने मैसर्स गेन्दीलाल रोडमल जैन नसियां के पास गुलजार बाग रोड टोंक जिला टोंक राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया एवं मैसर्स गेन्दीलाल रोडमल जैन नसियां के पास गुलजार बाग रोड टोंक जिला टोंक राज. के व्यवहारी ने मैसर्स श्री अजब फूड्स प्रा. लि. 50–ए रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रोड नं. 4, झोटवाडा जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5110 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./603/एक्ट/2016/653 दिनांक 08.11.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **सोन पपडी (श्री अजब ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस व अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोन पपडी (श्री अजब ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी (श्री अजब ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.01.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक